न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

CNR NO. UPMO240001632018

विविध वाद संख्या–25/2018

मुस्तफा बनाम कलुवा आदि।

<u>14.07.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण को सुनवाई हेतु वास्ते धारा–5 मर्यादा अधिनियम लंच बाद पेश हो–

<u>लंच बाद 03.30</u>

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। विपक्षीगण अनुपस्थित, न ही स्थगन प्रस्तुत किया। विपक्षीगण की अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक को न्यायहित में एकपक्षीय सुना गया।

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र धारा–5 मियाद अधिनियम</u>

प्रार्थी/वादी मुस्तफा द्वारा प्रार्थनापत्र धारा–5 (1) मियाद अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 30.05.2018 को उक्त वाद एकपक्षीय रूप से निरस्त हो गया था। प्रार्थी को उक्त वाद में पारित एकपक्षीय आदेश की जानकारी दिनांक 05.02.2018 को अपने अधिवक्ता महोदय के इज अवलोकन कराने पर प्राप्त हुई तत्पश्चात ही प्रार्थी इज अपना बाजवे प्रखर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायहित में प्रार्थी के धारा–5 (1) मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाना अति आवश्यक है। उक्त वाद में फैसला दाखिल हुआ था। इसलिए प्रार्थी भूलवश पैरवी नहीं कर पाया था। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त मामले में प्रार्थी को धारा–5 (1) मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 30.05.2018 को उभयपक्ष की अनुपस्थिति में मूलवाद खारिज किया गया।। नैसर्गिक न्याय के अनुसरण में उभयपक्ष को सुना जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से सुस्थापित सिद्धान्त उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधि0 300/–रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 09.08.2022 को पेश हो।

(दुष्यंत कुमार शर्मा)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रैट,

ठाकुरद्वारा।